

राजस्थान सरकार
निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: एफ.1(ए)102/स्था./पार्ट-9/संस्था/2014/ दिनांक:

आदेश 399

17 OCT 2014

इस विभाग के निम्नांकित कार्मिकों का इनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन
1.	श्री रामप्रसाद जाटव	पर्यवेक्षक	धौलपुर	जयपुर ग्रामीण
2.	श्री नारायण सिंह जैतावत	सहा.प्रशा.अधिकारी	सिरोही	पाली
3.	श्री नरसाराम साई	लिपिक ग्रेड प्रथम	जयपुर शहर	सीकर
4.	श्री मदन लाल साध	लिपिक ग्रेड प्रथम	चूरु	बीकानेर
5.	श्री भँवर लाल	लिपिक ग्रेड प्रथम	झुन्झुनू	सीकर
6.	श्री दिनेश कुमार आचार्य	लिपिक ग्रेड प्रथम	बाडमेर	जोधपुर शहर
7.	श्री गौतमलाल खीवसरा	लिपिक ग्रेड प्रथम	जोधपुर शहर	बाडमेर
8.	श्री दीपक भार्गव	लिपिक ग्रेड प्रथम	मुख्यालय जयपुर	जयपुर ग्रामीण
9.	श्री सुरेश व्यास	लिपिक ग्रेड प्रथम	बाडमेर	जोधपुर शहर
10.	श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी	लिपिक ग्रेड प्रथम	जोधपुर शहर	बाडमेर
11.	श्री जितेन्द्र अरोडा	लिपिक ग्रेड द्वितीय	जयपुर ग्रामीण	बीमा अनुभाग मुख्यालय जयपुर
12.	श्री भागचन्द्र शर्मा	लिपिक ग्रेड द्वितीय	चूरु	जयपुर शहर
13.	श्री अनिल पीपलीवाल	लिपिक ग्रेड द्वितीय	सा.बी.यो. जयपुर	जयपुर ग्रामीण
14.	श्रीमती लता आसनानी	लिपिक ग्रेड द्वितीय	मुख्यालय जयपुर	सा.बी.यो. जयपुर
15.	श्री रामबाबू शर्मा	लिपिक ग्रेड द्वितीय	सा.बी.यो. जयपुर	जयपुर ग्रामीण
16.	श्री भंवरसिंह राजावत	लिपिक ग्रेड द्वितीय	सचिवालयजयपुर	जयपुर ग्रामीण

क्र.सं.1,2,3,4,5,6,9 एवम् 12 पर अंकित कार्मिकों का स्थानान्तरण/ पदस्थापन स्वयं की प्रार्थना पर किये जाने के फलस्वरूप योगकाल/यात्राभत्ता देय नहीं है। अन्तर्जिला स्थानान्तरण के अन्तर्गत यदि किसी कार्मिक की ड्युटी बी.एल.ओ.में लगी हुई है, तो यह स्थानान्तरण आदेश उस पर लागू नहीं होगा।

समस्त कार्मिक बिना कार्यग्रहण काल का उपभोग किये अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर तुरन्त प्रभाव से कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें।

इस आदेश का निदेशक महोदय से अनुमोदन प्राप्त है।

(अनुप्रेरणा कुन्तल)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.1(ए)102/स्था./पार्ट-9/संस्था/2014/ 9176-230

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

17 OCT 2014

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक महोदय/अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय जयपुर।
- समस्त अधिकारी जिला कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिकों को अविलम्ब कार्यमुक्त कर संस्थापन मुख्यालय को सूचना प्रेषित करे।
- संयुक्त निदेशक(संस्थापन/मुख्यालय), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
- उप निदेशक (सिस्टम)/ए.सी.पी.मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- सम्बन्धित कार्मिकगण।
- कैंडर स्ट्रेन्थ लिपिक/वरिष्ठ निर्धारक लिपिक/सेवापुस्तिका लिपिक।
- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(समीर शर्मा)

संयुक्त निदेशक (संस्थापन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान जयपुर